

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2021—माघ 30, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिल कटोच आत्मज श्री प्रमोद चंद कटोच, उम्र 54 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6-ए, सड़क नं.-43, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शासकीय अभिलेखों, पेनकार्ड, आधार कार्ड व पासपोर्ट में मेरा वास्तविक नाम अनिल कटोच आ. श्री प्रमोद चंद कटोच दर्ज है। मेरे कुछ अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम अनिल कुमार कटोच आ. श्री प्रमोद चंद कटोच दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अनिल कटोच आत्मज श्री प्रमोद चंद कटोच के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अनिल कुमार कटोच
पिता-श्री प्रमोद चंद कटोच
निवासी-क्वा. नं.-6-ए,
सड़क नं.-43, सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अनिल कटोच
पिता-श्री प्रमोद चंद कटोच
निवासी-क्वा. नं.-6-ए,
सड़क नं.-43, सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोद कुमार सेम्युअल आत्मज श्री डेनियल सेम्युअल, उम्र 65 वर्ष, निवासी-जोन क्र. 3, सड़क-8, प्लॉट नं.-34, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पत्नि भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विनोद सेम्युअल है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम विनोद कुमार सेम्युअल है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपनी पत्नि के सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे विनोद कुमार सेम्युअल आत्मज श्री डेनियल सेम्युअल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

विनोद सेम्युअल
पिता-श्री डेनियल सेम्युअल
निवासी-जोन क्र. 3, सड़क-8,
प्लॉट नं.-34, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

विनोद कुमार सेम्युअल
पिता-श्री डेनियल सेम्युअल
निवासी-जोन क्र. 3, सड़क-8,
प्लॉट नं.-34, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सचिन कुमार अग्रवाल आत्मज श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी-म. नं.-34, शिवा रेसिडेन्सी, मठपुरैना, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम टेसू अग्रवाल था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है। मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम अथर्व अग्रवाल रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को अथर्व अग्रवाल आत्मज सचिन कुमार अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

टेसू अग्रवाल
पिता-श्री सचिन कुमार अग्रवाल
निवासी-म. नं.-34, शिवा रेसिडेन्सी,
मठपुरैना, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

अथर्व अग्रवाल
पिता-श्री सचिन कुमार अग्रवाल
निवासी-म. नं.-34, शिवा रेसिडेन्सी,
मठपुरैना, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बित्रा अनुराधा ध. प. श्री बित्रा वेंकट श्रीनिवास राव, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर-8/ए, सड़क नं.-23, सेक्टर-10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। पूर्व में मेरा नाम पी. अनुराधा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरा विवाह श्री बित्रा वेंकट श्रीनिवास राव के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मेरा नाम बी. अनुराधा हो गया जो कि मेरा लघु नाम है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर वास्तविक नाम बित्रा अनुराधा रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह वास्तविक नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे बित्रा अनुराधा ध. प. श्री बित्रा वेंकट श्रीनिवास राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

पी. अनुराधा (P. Anuradha)
बी. अनुराधा (B. Anuradha)
पति-श्री बित्रा वेंकट श्रीनिवास राव
(W/o- Shri Bitra Venkatshriniwas Rao)
निवासी-क्वा. नंबर-8/ए,
सड़क नं.-23, सेक्टर-10,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

बित्रा अनुराधा
(Bitra Anuradha)
पति-श्री बित्रा वेंकट श्रीनिवास राव
(W/o- Shri Bitra Venkatshriniwas Rao)
निवासी-क्वा. नंबर-8/ए,
सड़क नं.-23, सेक्टर-10,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पेन्टकोटा सत्यनारायण आत्मज श्री पेन्टकोटा विश्वनाथ, उम्र 56 वर्ष, निवासी-5/2, दीक्षित कालोनी, कोसा नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम P. Satyanarayan दर्ज है। मेरा वास्तविक नाम Pentakota Satyanarayan है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरे नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे Pentakota Satyanarayan आत्मज श्री पेन्टकोटा विश्वनाथ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

P. Satyanarayan
पिता-श्री पेन्टकोटा विश्वनाथ
निवासी-5/2, दीक्षित कालोनी,
कोसा नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Pentakota Satyanarayan
पिता-श्री पेन्टकोटा विश्वनाथ
निवासी-5/2, दीक्षित कालोनी,
कोसा नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद आमिर आत्मज श्री मानसिंह साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी-शुभम किराना स्टोर्स के पास, नया तालाब, गुढ़ियारी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम अमित साहू आ. श्री मानसिंह साहू था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद आमिर आ. श्री मानसिंह साहू रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मोहम्मद आमिर आत्मज श्री मानसिंह साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अमित साहू
पिता-श्री मानसिंह साहू
निवासी-शुभम किराना स्टोर्स के पास,
नया तालाब, गुढ़ियारी, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

मोहम्मद आमिर
पिता-श्री मानसिंह साहू
निवासी-शुभम किराना स्टोर्स के पास,
नया तालाब, गुढ़ियारी, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुमारी बाई कृपाल ध. प. श्री ओंकार प्रसाद कृपाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर-11-बी, सड़क-13, सेक्टर-4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम कुमारी बाई कृपाल है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आई. डी. व बैंक रिकार्ड में दर्ज है। मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा अपूर्ण नाम कुमारी बाई दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर पूर्ण नाम को, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती कुमारी बाई कृपाल ध. प. श्री ओंकार प्रसाद कृपाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती कुमारी बाई
पति-श्री ओंकार प्रसाद कृपाल
निवासी-क्वा. नंबर-11-बी,
सड़क-13, सेक्टर-4, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती कुमारी बाई कृपाल
पति-श्री ओंकार प्रसाद कृपाल
निवासी-क्वा. नंबर-11-बी,
सड़क-13, सेक्टर-4, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रिति पटेल ध. प. श्री डिगम्बर पटेल, उम्र 23 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-57, कातुलबोड़ एस. ए. एफ. कालोनी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम प्रिति बघेल आत्मजा श्री बसंत बघेल था, जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 25-11-2020 को श्री डिगम्बर पटेल के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती प्रिति पटेल रख ली हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती प्रिति पटेल (Smt. Preeti Patel) ध. प. श्री डिगम्बर पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रिति बघेल
(Preeti Baghel)
पिता- श्री बसंत बघेल
निवासी-वार्ड नं.-57, कातुलबोड़,
एस. ए. एफ. कालोनी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती प्रिति पटेल
(Smt. Preeti Patel)
पति- श्री डिगम्बर पटेल
निवासी-वार्ड नं.-57, कातुलबोड़,
एस. ए. एफ. कालोनी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रशेखर जोशी आत्मज स्व. रमल दास जोगान्स उम्र, 45 वर्ष, निवासी-म. नं.-ए-36, छुगानी प्राईड, चंगोराभाठा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम चन्द्रशेखर था जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जाना-पहचाना जाता था। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “जोशी” जोड़कर नया नाम चन्द्रशेखर जोशी रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे चन्द्रशेखर जोशी आत्मज स्व. रमल दास जोगान्स के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

चन्द्रशेखर
पिता- स्व. रमल दास जोगान्स
निवासी-म. नं.-ए-36, छुगानी प्राईड,
चंगोराभाठा, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

चन्द्रशेखर जोशी
पिता- स्व. रमल दास जोगान्स
निवासी-म. नं.-ए-36, छुगानी प्राईड,
चंगोराभाठा, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोनल सिन्हा आत्मज श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, उम्र 28 वर्ष, निवासी-रूम नं.-54, विजाग हॉस्टल, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम सोनल था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य में दर्ज है। तथा मैं इसी नाम से जाना पहचाना जाता था। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “सिन्हा” जोड़कर नया नाम सोनल सिन्हा रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे सोनल सिन्हा आत्मज श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सोनल
पिता- श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा
निवासी-रूम नं.-54, विजाग हॉस्टल,
सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सोनल सिन्हा
पिता- श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा
निवासी-रूम नं.-54, विजाग हॉस्टल,
सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रितेश कुमार शर्मा आत्मज श्री रामसरोज शर्मा, उम्र 36 वर्ष, निवासी-प्लॉट नंबर-12, ब्लॉक नंबर-2, सेक्टर-1 विश्व बैंक कालोनी, भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम रितेश कुमार शर्मा आ. श्री रामसरोज शर्मा है जो कि मेरे पेनकार्ड में दर्ज है मैं यूको बैंक में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रितेश कुमार आ. रामसरोज दर्ज है, जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे रितेश कुमार शर्मा आत्मज श्री रामसरोज शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रितेश कुमार
पिता- श्री रामसरोज
निवासी-प्लॉट नंबर-12,
ब्लॉक नंबर-2, सेक्टर-1,
विश्व बैंक कालोनी, भिलाई-3,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रितेश कुमार शर्मा
पिता- श्री रामसरोज शर्मा
निवासी-प्लॉट नंबर-12,
ब्लॉक नंबर-2, सेक्टर-1,
विश्व बैंक कालोनी, भिलाई-3,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी
संयुक्त कार्यालय भवन, कक्ष क्रमांक-25, कलेक्टोरेट के पास

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/928 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/40 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, मोहलई, पंजीयन क्रमांक-402 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, मोहलई, पंजीयन क्रमांक-402 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/929 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/39 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, कुकरेल, पंजीयन क्रमांक-407 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, कुकरेल, पंजीयन क्रमांक-407 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/930 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/41 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, कोलियारी, पंजीयन क्रमांक-410 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, कोलियारी, पंजीयन क्रमांक-410 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/931 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/42 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, उत्तरी भोयना, पंजीयन क्रमांक-408 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, उत्तरी भोयना, पंजीयन क्रमांक-408 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/932 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2015/36 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, सियादेही, पंजीयन क्रमांक-404 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, सियादेही, पंजीयन क्रमांक-404 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/933 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपबंध/परिसमापन/2020/375 धमतरी दिनांक 28-07-2020 के द्वारा आदिवासी मछेन्द्रनाथ मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, दरगहन, पंजीयन क्रमांक-81 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्रीमती संगीता सिन्हा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए आदिवासी मछेन्द्रनाथ मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, दरगहन, पंजीयन क्रमांक-81 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

पीताम्बर ठाकुर
उप पंजीयक.